दिनांक–22.06.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न श्रावणी मेंला 2016 की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

E.MAIL 30.6

उपस्थिति–यथा संलग्न

कार्यवाही :–

श्रावणी मेला 2016 का शुभारंभ दिनांक–19.07.2016 को होना निर्धारित है जिस तिथि से भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज के सीढी घाट से कॉवरियों द्वारा गंगाजल लेकर पैदल बिहार राज्य के भागलपुर, मुंगेर एवं बाँका जिला क्षेत्र में यात्रा करते हुए वैद्यनाथ धाम (देवघर) का यात्रा किया जाएगा, जो लगभग 104 कि0मी0 है। चूंकि कॉवरियों की संभावित संख्या प्रतिदिन एक से डेढ लाख होती है, अतः उनकी सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था का संधारण, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क की मरम्मति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य विषयों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा की गयी। जिला पदाधिकारियों के द्वारा अभीतक की गयी व्यवस्था एवं उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक में जानकारी दी गयी, साथ ही विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी राज्य स्तर से की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बतलाया गया।

दिनांक–19.07.2016 को सुलतानगंज में अवस्थित गंगा नदी के किनारे सीढ़ी घाट से कॉवरियों द्वारा गंगाजल लेकर यात्रा प्रारंभ किया जाएगा। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा बतलाया गया कि सीढ़ी घाट पर कॉवरियों द्वारा गंगाजल के द्वारा स्नान करते हुए गंगाजल लेकर देवघर के लिए प्रस्थान किया जाता है, अतः सीढ़ी घाट पर आवश्यक बैरिकेटिंग कर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा यह भी बतलाया गया कि सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में गोताखोरों एवं एन0डी0आर0एफ0 की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है, जो दिनांक–18.07.2016 से श्रावणी मेला की समाप्ति तक सीढ़ी घाट पर प्रतिनियुक्त रहकर किसी आकस्मिकता से निबटेगें। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु उन्हें अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की आवश्यकता होगी, जो जिला के बाहर से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। पुलिस महानिदेशक के द्वारा उन्हें बतलाया गया कि विगत वर्ष के अनुरूप ही उन्हें जिला के बाहर से सशस्त्र बल एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, साथ ही महिला पुलिस बल की भी आवश्यक व्यवस्था जिला के बाहर से की जाएगी।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा उनके स्तर से की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत चर्चा बैठक में की गयी। उनके द्वारा बतलाया गया कि प्रकाश व्यवस्था हेतु ऊर्जा विभाग से आवश्यक सम्पर्क किया गया है। बैठक में उपस्थित ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जेनरेटर के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था हेतु निविदा का प्रकाशन कर

दिया गया है। समय से सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली जायेंगी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा पेयजल की व्यवस्था एवं विभिन्न जगहों पर पेयजल हेतु आर0ओ0 लगाये जाने की भी सूचना दी गयी। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि श्रद्धालुओं की प्रतिदिन संख्या के आकलन हेतु ईलेक्ट्रोनिक व्यवस्था की गयी है। आवश्यक संख्या में स्वास्थ्य कैम्पों की स्थापना की जाएगी, जो 24 घंटा अनवरत रूप से संचालित होगा। उनके द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति जिला के बाहर से भी किये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कॉवरियों की गतिविधियों से संबंधित सभी तथ्यों Live Telecast करने हेतु चार जगहों पर व्यवस्था की गयी है। वाहनों के पार्किंग हेतु जगह कर्णाकिंत कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि आठ जगहों पर सी0सी0 टी0वी0 कैमरा की व्यवस्था की गयी है, ताकि विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ससमय प्राप्त हो सके। उनके द्वारा राजस्व, पर्यटन एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के स्तर से आवंटन विमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया गया। राजस्व विभाग के द्वारा भागलपुर जिला को तत्काल 58.00 लाख रू0 का आवंटन विमुक्त किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी, भागलपुर को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिया गया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा यह भी बतलाया गया कि पटना जंक्शन पर भी एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय। ताकि लोगों को श्रावणी मेला से संबंधित सभी सूचनाएँ दिया जाना संभव हो सके। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा गंगा आरती की व्यवस्था किये जाने की भी सूचना बैठक में दी गयी। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि भादो महीना में भी लगभग 70 से 80 हजार श्रद्धालु सुलतानगंज में गंगाजल लेकर देवघर के लिए प्रस्थान करते है। उनके द्वारा भादो माह में भी आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाय।

पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के द्वारा भी की जा रही तैयारियों की जानकारी दी गयी। चोरी की घटना पर नियंत्रण रखने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ किये जाने की सूचना दी गयी। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि सम्प्रदायिक रूप से जिला संवेदनशील है, जिसके कारण संवेदनशील जगहों पर उक्त अवसर पर पर्याप्त सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। किसी भी आकस्मिकता से निबटने हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं की चर्चा पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गयी।

पुलिस महानिदेशक के द्वारा बतलाया गया कि Anti Riot की एक कम्पनी, महिला बल की एक कम्पनी जिला के बाहर से भागलपुर को उपलब्ध कराया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि यदि होमगार्डस को कर्तव्य पर बुलाने की आवश्यकता हो तो जिला पदाधिकारी समय से अधियाचना गृह विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही 80 पुलिस पदाधिकारी जिला के बाहर से भागलपुर को उपलब्ध कराये जाने की भी सूचना पुलिस महानिदेशक के द्वारा दी गयी। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि Mounted Police भागलपुर में उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। गत वर्ष के अनुरूप ही सशस्त्र बल, पुलिस पदाधिकारी आदि भागलपुर जिला को उपलब्ध कराया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि जितने भी चापाकल पूर्व से लगे हुए है उनके मरम्मती की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नया चापाकल गाड़ने, अतिरिक्त झड़ना की व्यवस्था एवं सभी धर्मशालाओं में आवश्यक संख्या में आर0ओ0 की व्यवस्था किये जाने की सूचना दी गयी। उक्त सभी कार्यों के सम्पादन हेतु उनके द्वारा 03.00 करोड़ रू0 का प्राक्कलन विभाग के स्तर पर तैयार किये जाने की भी सूचना दी गयी है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा यह भी बतलाया गया कि पर्यटन विभाग के स्तर से भी उन्हें प्रतिवर्ष आवंटन प्राप्त होता है। पर्यटन विभाग के द्वारा वर्ष 2013 में पर्यटन स्थलों को विकसित करने का एक कार्य योजना तैयार किया गया था, जिसे कार्यान्वित किये जाने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग के द्वारा जिला पदाधिकारी को उक्त योजना प्राक्कलन सहित– पुनः विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। कॉवरियों के पैदल चलने हेतु सड़क के किनारे सभी जिलों में बॉक्स बनाकर उसमें महीन एवं छना हुआ रेता/बालु डालने का निदेश मुख्य सचिव के द्वारा बैठक में दिया गया, ताकि वर्षा होने की स्थिति में बालु/रेता बह न जाय, साथ ही कॉवरियों को पैदल चलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इस संबंध में आवश्यक कार्य प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को किये जाने का आदेश मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया।

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएँ करने हेतु नगर विकास विभाग की ओर से 30.00 लाख रू0 का आवंटन विमुक्त किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, बांका के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि उनके जिला क्षेत्र में लगभग 60 कि0मी0 की दूरी कॉवरियों के द्वारा तय किया जाता है। उनके द्वारा बतलाया गया कि उनके जिलान्तर्गत कॉवरियों के पैदल चलने हेतु बॉक्स बनाकर बालु रखना संभव नहीं है, क्योंकि सड़क का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु भी होता है। भारी वाहनों के परिचालन से बॉक्स का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग के द्वारा बतलाया गया कि मंदारहिल क्षेत्र के विकास हेतु 04.00 करोड़ रू0 का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसे विमुक्त किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। मंदारहिल क्षेत्र में रास्तों की मरम्मती के साथ ही तालाब को जिर्णोद्धार एवं Cafeteria संचालित किये जाने की भी योजना है। मुख्य सचिव के द्वारा रास्ता को ठीक कराने हेतु आवश्यक राशि विमुक्त किये जाने का आदेश दिया गया। राजस्व विभाग के द्वारा बाँका जिला को 35.00 लाख रू0 का आवंटन विमुक्त किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी, बाँका को बैठक में दी गयी। जिला पदाधिकारी के द्वारा कम से कम 13–14 फुड इन्सपेक्टर्स की प्रतिनियुक्ति मेला अवधि में किये जाने का अनुरोध किया गया, ताकि गलत/मिलावटी खादय पदार्थ की बिक्री को प्रतिबंधित किया जा सके। गत वर्ष 4 लोगों की मृत्यु बिजली की तार को गिरने से होने की सूचना देते हुए उनके द्वारा समय से ऊर्जा विभाग के स्तर से सभी विद्युत तारों की आवश्यक मरम्मती कराये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऊर्जा विभाग के स्तर से आवश्यक संख्या में अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति किये जाने का भी अनुरोध किया गया। ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बतलाया गया कि 15 जुलाई तक

सभी मरम्मती का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही आवश्यक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति भी की जाएगी।

स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति हेतु 10 जगह आर0ओ0 लगाये जाने, साथ ही 5 जगहों पर हाई मास्क विद्युत व्यवस्था भी किये जाने की सूचना उनके द्वारा दी गयी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रतिनिधि के द्वारा बतलाया गया कि आवश्यक संख्या में आर0ओ0 के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, साथ ही पूर्व से निर्मित शौचालयों की आवश्यक रख–रखाव के साथ ही अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण किये जाने की सूचना दी गयी।

पुलिस अधीक्षक, बाँका के द्वारा सूचित किया गया कि उनका जिला नक्सल प्रभावित है, अतः एक नियंत्रण कक्ष एवं सात उप नियंत्रण कक्ष की स्थापना उनके जिला क्षेत्र में की गयी है। साथ ही तीन पालियों में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किये जाने की भी सूचना उनके द्वारा दी गयी। पुलिस महानिदेशक के द्वारा बतलाया गया कि बाँका जिला को 130 पुलिस पदाधिकारी जिला के बाहर से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही महिला पुलिस बल, घुर सवार दस्ता भी जिला के बाहर से उपलब्ध कराया जायेगा। यदि बाँका जिला को अतिरिक्त होमगार्डस कर्तव्य पर बुलाना हो तो वैसी स्थिति में अधियाचना गृह विभाग को समय से भेजे जाने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया। पुलिस महानिदेशक के द्वारा यह भी बतलाया गया कि बाईक पेट्रोलिंग हेतु यदि अतिरिक्त मोटर साईकिल की व्यवस्था होगी तो वैसी स्थिति में जिला के बाहर से आवश्यक संख्या में बाँका जिला को मोटर साईकिल उपलब्ध कराया जाएगा।

3. जिला पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि मुंगेर जिला में तारापुर से उमरसार तक कुल–26 कि0मी0 की दूरी कॉवरियाँ तय करते है। उक्त रास्ते के छः जगहों पर आर0ओ0 की व्यवस्था पेजजलापूर्ति हेतु की गयी है, साथ ही अतिरिक्त तीन आर0ओ0 अधिष्ठापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। 27 शौचालयों का निर्माण किया गया है, साथ ही मार्ग में अवस्थित सभी 4 धर्मशालाओं में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त 11 महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है जिसमें बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। कुल–7 जगहों पर झड़ना की व्यवस्था की गयी है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कॉवरियाँ पथ के आंशिक भाग में निर्मित सड़क की जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई की गयी है जिसके विरूद्ध 06.00 करोड़ रू0 का भुगतान भू–स्वामियों को किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के विरूद्ध मात्र 50.00 लाख रू0 का आवंटन जिला को उपलब्ध कराया गया है। शेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि घोरहट पुल से बड़ी गाड़ियों का परिचालन अवरूद्ध है, अतः वाहनों के परिचालन हेतु डाइभर्शन का निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

4. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के द्वारा बतलाया गया कि उनके जिलान्तर्गत अरेराज में श्रावणी मेला के अवसर पर लोग अरेराज मंदिर में पुजा–अर्चना करते है। अनंत चतुर्दशी के दिन लगभग 05.00 लाख श्रद्धालु अरेराज मंदिर में पुजा–अर्चना करते है। उनके द्वारा जिला को अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। पू0 चम्पारण जिला को प्रस्तावित 02.00 लाख रू0 के आवंटन में बढ़ोतरी किये जाने का आदेश मुख्य सचिव के द्वारा भी बैठक में

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया गया। मुख्य सचिव के द्वारा यह भी बतलाया गया कि अरेराज मंदिर के पीछे का तालाब गन्दा है, जिसकी सफाई जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग को निदेश दिया गया कि तालाब के चारो ओर पेड़ लगाकर उसे अधिक सुन्दर बनाया जाय। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी पेड़ लगाया जाना अपेक्षित है। नगर विकास विभाग के स्तर से अरेराज शहरी क्षेत्र में रास्तों की मरम्मती हेतु 40.00 लाख रू0 का आवंटन विमुक्त किये जाने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, पू0 चम्पारण के द्वारा किया गया। प्रधान सचिव, नगरा विकास विभाग के द्वारा बतलाया गया कि DUDA में पर्याप्त राशि आवंटित है, जिसमें बची हुई राशि से सड़क की मरम्मती करायी जाय। जिला पदाधिकारी, पू0 चम्पारण के द्वारा स्थायी शौचालयों के निर्माण, सफाई व्यवस्था आदि की सूचना बैठक में दी गयी। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग से अनुरोध किया गया कि वे अरेराज में पर्यटन विभाग के विश्रामालय में आवश्यक मरम्मती कराये जाने के साथ ही आवश्यक संख्या में नये फर्नीचर्स उपलब्ध कराये जाय। साथ ही कमरों में ए0सी0 लगवाने की व्यवस्था की जाय।

5. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा बतलाया गया कि मुजफ्फरपुर जिला के मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में अवस्थित बाबा गरीबनाथ के मंदिर में श्रावण महिना के प्रत्येक सोमवारी को पहलेजा घाट स्थित गंगा नदी से जल लेकर लगभग 5 लाख श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाकर पुजा–अर्चना करते है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर वाहनों के परिचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था किये जाने की सूचना दी गयी, साथ सरैया के पास सड़क की मरम्मती कराये जाने की भी सूचना उनके द्वारा दी गयी। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आदि किये जाने की भी सूचना उनके द्वारा दी गयी, इसके साथ ही दुधनाथ मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुजा–अर्चना करते है, जिसकी दूरी मुजफ्फरपुर से लगभग 16 कि0मी0 है। दोनों स्थलों पर आवश्यक संख्या में पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था कर दी गयी है। पुलिस महानिदेशक के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि 135 लाठीबल, एक कम्पनी महिला पुलिस मुख्यालय से उन्हें मुजफ्फरपुर जिला को उपलब्ध कराया जाएगा।

आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा यह सूचित किया गया है कि रास्ते में श्रद्धालु प्लास्टिक ग्लास का उपयोग पानी पीने हेतु करते है, जिसे रास्ते में ही लोग उपयोग के बाद फेक देते है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण इस प्रकार के प्लास्टिक के खाली ग्लासों के कारण रास्ते में गन्दगी फैलने के साथ ही उसका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य सचिव के द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया कि इस प्रकार की गन्दगी की सफाई हेतु वे अलग से व्यवस्था करे एवं उस पर होने वाले व्यय का आक्कलन कर उसकी सूचना विभाग को दें।

6. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के द्वारा बैठक में बतलाया गया कि उनके जिला में सिमरिया घाट से गंगाजल लेकर कॉवरियाँ लगभग 57 कि0मी0 की दूरी पैदल चलकर गढ़पुरा

थाना क्षेत्र में अवस्थित बाबा हरिगिरी धाम मंदिर में जलाभिषेश करते है। उनके द्वारा आवश्यक व्यवस्था किये जाने की सूचना दी गयी।

7. जिला पदाधिकारी, जमुई के द्वारा भी सूचित किया गया कि श्रावणी मेला के अवसर पर गिधौर थाना क्षेत्र में अवस्थित परल्याम वैद्यनाथ धाम में देवघर से लौटने वाले श्रद्धालु पुजा–अर्चना करते है। लोगों के पैदल चलने की आवश्यक व्यवस्था किये जाने के साँथ ही आवश्यक संख्या में शौचालयों, चापाकल आदि की व्यवस्था की गयी है। चूंकि पैदल चलने का रास्ता जंगल क्षेत्र से गुजरता है, अतः उनके द्वारा अतिरिक्त सशस्त्र बल जिला के बाहर से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

8. बैठक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग उपस्थित नहीं थे। मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के स्तर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के स्तर से किये जाने का आदेश दिया गया :–

क) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक संख्या में चिकित्सा पदाधिकारी, महिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मी की प्रतिनियुक्ति जिलों के बाहर से की जाय।

ख) सम्पूर्ण कॉवरियाँ पैदल रास्ता में आवश्यक संख्या में फुड इन्सपेक्टर की प्रतिनियुक्ति की जाय, जो खाद्य पदार्थ में मिलावट आदि की जाँच करेंगे।

ग) आवश्यक संख्या में एम्बुलेन्श की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी जिलों में की जाय।

घ) सभी स्वास्थ्य से संबंधित कैम्पों पर मुफ्त चिकित्सा एवं दवा वितरण की व्यवस्था अनवरत की जाय।

च) सभी संबंधित जिलों के शिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी कॉवरियाँ को स्वास्थ्य संबंधी कोई कठिनाई नहीं हो।

9. मुख्य सचिव के द्वारा भागलपुर, मुंगेर एवं बाँका जिला क्षेत्र में अवस्थित कॉवरियाँ पथ विभिन्न स्थलो पर रोटेशन से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को दिया गया।

10. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि वर्ष 2015 में आवंटित राशि के अनुरूप ही सभी जिलों को आवंटन विमुक्त किये जाने कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूर्वी चम्पारण जिला को अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराये जाने की भी सूचना बैठक में जिला पदाधिकारी को दी गयी।

अंत में मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निदेशित किया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में सभी व्यवस्थाएँ अच्छी हो, ताकि किसी भी कॉवरियाँ को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था,

सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण, पेयजलापूर्ति व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आदि समय से किये जाने का आदेश बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया।

ह0/–
(प्रधान सचिव)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9/सै0–6–श्रावणी मेला विविध–04/2013 430 /रा0, दिनांक– 29.06.2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/गृह विभाग/ऊर्जा विभाग/भवन निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ पर्यटन विभाग/ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/ अध्यक्ष, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/ मुंगेर प्रमंडल/ तिरहुत प्रमंडल/ समाहर्त्ता, पटना/भागलपुर/मुंगेर/बांका/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/मुजफ्फरपुर एवं पू0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/16
(दीपलाल दीपक)
अवर सचिव।